कड़ाई से पालन सरकार करे। सरकारी नौकरियों में जिस तरह से प्रावधान है मेडिकल लीव का, केजुअल लीव का या दूसरी जो सुविधाएं हैं वे इन घरेलू नौकरों को भी मिलनी चाहिएं क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। वे भी मानव हैं। उनकी गरीबी ने, उनकी बेरोजगारी ने उनको विवश कर दिया है घरेलू नौकर के रूप में रहने के लिए। उनकी भी रिटायरमेंट एज फिक्स होनी चाहिए, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सरकार का भी योगदान रहे। पेंशन में मालिक का भी योगदान रहे और उसकी रिटायरमेंट के बाद जब वह 58-60 साल का हो जाए तो उसके बुढ़ापे की जिन्दगी गुजारने की गारण्टी हो सके। घरेलू नौकर अगर अपने मालिक के घर पर सेवा काल में ही काम करते किसी तरह से अपंग हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जैसे सरकारी नौकरियों में व्यवस्था है उसी तरह से इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यहां तो इनको घर से बाहर ही निकाल दिया जाता है क्योंकि वह काम करने के योग्य नहीं रहता है तो इस संबध में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उस आदमी का जीवन-यापन हो सके। आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं आपके लिए नहीं देख रहा हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वेदना की बात कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव : वेदना तो व्यक्त कर ही रहा हूं। स्वामी जी आप तो बड़े आदमी हैं। आपको गांव के गरीब लोगों के बीच रहने का अवसर नहीं मिला है इसलिए आप वेदनाएं नहीं समझते हैं इसलिए मैं मजबूर था। माननीय सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का आभारी हूं कि जो मैं बातें कर रहा था उसको वह गंभीरता से सुन रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): वह भी बोलने वाले थे लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री ईश दत्त यादव मैं वेदनाओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कर रहा था। नयी सरकार के सामने बहुत समस्यायें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता और देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार जनहित की ओर क्रांतिकारी कदम उठायेगी। देश की अनेक समस्याओं का जिनसे यह देश ग्रस्त है, पीड़ित है उनका निराकरण जल्दी से जल्दी होगा। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप स्थान ग्रहण करिये अगली तारीख को जारी रखिये।

श्री ईश दत्त यादव : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

5.00 P.M.

THE CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDING) BILL, 1989—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Now, we will take up the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989. Shri Mirza Irshadbaig.

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आज इस सदन के सामने लाया गया है, मुझे खुशी है कि यह विधेयक मेरी सरकार ने इससे पूर्व प्रस्तुत किया था और इसकी भावनाओं के साथ सम्पूर्णतः मैं अपने आपको सहमत करता हूं। इस देश के समक्ष जो प्रश्न हैं उनमें सबसे अधिक अहमियत रखने वाली कोई बात है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे हम किसी भी दल में विश्वास करते हों, किन्हीं भी नीतियों में विश्वास करते हों, हम सब भारतीयों के लिए देश की एकता और देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा और इस देश की स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे अग्रतर वस्तुएं हैं जिनकी हिफाजत के लिए हम लोग सदा सर्वदा तत्पर हैं।

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

जब जब भी इस देश के सामने सुरक्षा का सवाल आया है तब-तब भारतीयों ने अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसकी सुरक्षा के लिए काम किया है और अपना बलिदान तक दिया है । ऐसी स्थिति में जो विधेयक आज सदन में लाया गया है उसका तात्पर्य यह है कि देश में और देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं, जो हमारे देश की भौगोलिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को उस ढंग से देखना नहीं चाहती हैं । उनको यह मालूम नहीं है कि देश का यह भौगोलिक मानचित्र बनाने के लिए वर्षों पूर्व जब इस देश पर विदेशी शासन था उसको हटाने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक ने अपना बलिदान दिया है । इस धरती पर उन हजारों और लाखों नागरिकों का लहू गिरा है, वह ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे देश को हो नहीं, बल्कि समग्र विश्व को एक मिसाल दी । वह ऐसी क्रांति थी जो शांतिमय थी और उस क्रांति के माध्यम से हमने विदेशियों को यहां से भगाया । इस देश का आज जो भौगोलिक मानचित्र हमारे सामने प्रस्तुत है उसको हमने भारतीय लोगों के हाथ में और भारत के नेतृत्व के हाथ में सौंपा है। इससे पूर्व हमारी जो सरकार थी उस सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे इस भौगोलिक मानचित्र के समक्ष अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश गलत इरादे से देखने की चेष्टा करता है तो उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए, उनको कानूनी परिधि में लाने के लिए यह कानून लाया गया है । इसका मैं समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी भी इसका सम्पूर्ण समर्थन करती है । मान्यवर, इसके कई कारण और उदाहरण हैं । इसके पूर्व भी कई बातें इस देश के सामने आई, इस देश की सरकार के सामने आई । इसके पहले भी कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं मान्यवर । अमेरिका का जो मैग्जीन न्यूज वीक है उसने ऐसे मानचित्र प्रस्तुत किये थे जिनमें यह बताया गया था कि भारत में जो कश्मीर का अक्षाइ चिन इलाका है उसकी जो बाउन्ड्रीज है उनको उन्होंने बताया था कि वह चीन की सीमा है । इतना ही नहीं मान्यवर, और भी चेष्टायें उसके अंदर की गई थीं और उसका जो दूसरा हिस्सा था उसको डेस्प्यूटेडलैंड के अंदर बताया गया । इतना ही नहीं, तमिलनाडू से निकलनेवाली ईगल डायरी हाउस जो पत्रिका है उसने भी मान्यवर ऐसे मानचित्र दिये थे जिनमें हमारी जो सीमायें हैं उनको डेस्प्यूटेड लैंड में बताया गया था । उसका एक हिस्सा, जो हमारा हिस्सा है उसको चीन के अंदर बताया गया था । मान्यवर, उस वक्त मेरी सरकार ने तमिलनाड सरकार के समक्ष आपत्ति उठाई और उस पर कार्यवाही करने के लिये भी कहा । इतना ही नहीं, रूस की भी एक एजेंसी थी । उसने भी एक मानचित्र प्रस्तुत किया था । उस वक्त इस पर हमारी सरकार ने आपत्ति उठाई और मुझे यह कहते हुए हर्ष होता हैं मान्यवर कि जब रूस का ध्यान इस तरफ दिलाया तो रूस ने इस पर अपना खेद व्यक्त किया और कहा कि अगर कोई ऐसी घटना है, जो सीमा भारत की है अगर उसको किसी और देश की सीमा बताया गया है तो हमें इसका खेद है और इस भूल को हम सुधारेंगे । इतना ही नहीं, यदि आवश्यक हुआ तो हम अपने देश के कानूनों में परिवर्तन करेंगे । डेस्प्यूटेड लैंड जो दिखाया गया था उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि यदि उसमें कोई गलती है तो हम उसमें सुधार करेंगे । अगर आवश्यक हुआ तो हम अपने देश के कानूनों में परिवर्तन करेंगे । लेकिन ऐसा आश्वासन अमेरिकी सरकार ने मान्यवर, हमको कभी नहीं दिया और इस तरह की प्रक्रिया चलती रही, इस तरह के गलत मैप निकलते रहे हैं । मान्यवर, हमारे देश का जो जम्मू और कश्मीर राज्य है उसकी जो सीमायें हैं, मान्यवर वे भारत के अन्तर्गत हैं और वे भारत का अक्षुण्ण अंग हैं । विदेश की कोई ताकत, विदेश की कोई शक्ति इसको अगर किसी और के साथ बताने की चेष्टा करेगी तो मान्यवर मैं यह कहता हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक उसके खिलाफ अपनी आवाज उठायेगा । यह जो दंड संहिता के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । इस देश में यदि हमको रहना है, अगर इस देश के नागरिक

हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो मान्यवर हमें इस देश की रक्षा के साथ, इस देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई गड़बड़ी करने की चेष्टा करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठायें मान्यवर, देश में परिवर्तन आया है और नई सरकार ने अपना स्थान ग्रहण किया है। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में ही ऐसा हो सकता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया और उसकी व्यवस्था के अन्तर्गत ही इस तरह का बदलाव हो सकता है। यह बदलाव आया है। लोगों ने अपना आदेश दिया और उस आदेश को मानकर ही हम चलते हैं। लेकिन, शासन में जो भी हों उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज इस देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। इस देश के अन्दर कुछ ऐसे तत्व हैं और इस देश के बाहर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस देश की सुरक्षा को खंडित करना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। जिस तरह कश्मीर की बात उठाई गई थी, वहां पर जिस तरह से अलगावादी ताकतें सर उठा रही हैं उनको कुचलने के लिए हमें चाहिये कि हम अपनी दलगत राजनीति को भुलकर जो भी सरकार वहां पर है उसको अपना समर्थन दें और वहां पर जो देश के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है उसको कुचलने में हम वहां की सरकार को सहयोग दें ताकि वह ऐसी ताकतों को कुचलने में सक्षम बने। आज ऐसी परस्थिति का निर्माण हुआ है तब मुझे यह कहना है कि आज की ऐसी नाजुक परिस्थिति में चाहे वह पंजाब का मसला हो चाहे काश्मीर का मसला हो तब हमें यह चाहिये कि हम ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें कि जिससे हमारे जो भी साधन उपलब्ध है उन साधनों के साथ हम पूरी ताकत के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ सकें। मुझे यह कहते हुए क्षोभ होता है कि आज एक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई है चूंकि एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर यह सरकार आई है तब हम ने यह स्वीकार किया है हम इस देश में इस देश के दोनों उच्च सदनों के अन्दर विरोध पक्ष की भूमिका हम निभायेंगे और हमने समर्थन भी दिया है जहां जहां आप महात्मा गांधी की नीतियों पर और पंडित जवाहरलाल नेहरु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे हमारा पूर्ण सहयोग और समर्थन उनको मिलता रहेगा लेकिन मैं उनको आगाह करता हूं कि आप जिनका समर्थन लेकर बैठे हैं आप जिस बसाखी के साथ बैठे हैं उस बैसाखी के एक कोने के साथ ऐसी ताकत भी मिली है कहीं गलती से भी वे लोग आपको इतना कमजोर न बना दें कि आप देश की रक्षा न कर सकें। आप देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ कहीं परोक्ष रूप से भी उन के सहभागी न बन जाएं। मान्यवर, आज उनको सहयोग देने वाली जो पार्टी है वह राइटिस्ट पार्टी है उस पार्टी ने भी जो काश्मीर के बारे में एक बात चलाई है। मैं यह कहता हूं कि आप उसको गम्भीरतापूर्वक लें एक राज्य की जनता के पास जो संवैधानिक अधिकार के अन्तर्गत अधिकार हैं जो वचन राष्ट्र के नेताओं द्वारा उनको दिया गया था उसके साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है. वह हमारा सरहदी प्रान्त कमजोर बनता है वहां ऐसी ताकतें पनपेंगी जो ताकतें इस देश को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत से लगी हुई हैं इस देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं। जिस ढंग से इस बिल को यहां पर लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर इसी तरह से चलते रहे तो मैं आशा करता हूं कि मैं भी यह मानने के लिए कायल हो जाऊंगा कि आप भी हमारी तरह इस देश को सक्षम रखने के लिए, मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगाह करता हूं कि यह एक लोकतान्त्रिक बदलाव होता है। पांच वर्ष के बाद इस देश की जनता अपना फैसला सुनाती है। जो भी फैसला आता है चाहे हम किसी भी दल के साथ हो उसको हमें मंजूर करना होगा। लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं इस देश के सामने जो चुनौतियां हैं वह किसी एक पक्ष के सामने कोई चुनौती

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

नहीं है इस देश की सुरक्षा के सामने जो चुनौती है उनका मुकाबला हमें करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करना होगा । मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि देश की कुछ ऐसी ताकतें लगी हुई हैं विदेश की कुछ ऐसी ताकतें लगी हुई हैं वह नहीं देख सकती हैं कि यह देश इतना मजबूत राष्ट्र बने जो न सिर्फ इस देश को सही मायने में नेतृत्व दे बल्कि विश्व में तीसरी दुनियां के नेता की हैसियत से इतना मजबूत बन सके जो कभी सुपर पावर्ज को भी चुनौती दे सके । जो भावना इस बिल के अन्तर्गत लाई गई है मैं इसका सम्पूर्ण समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ते रहेंगे तो इस देश का समर्थन आपके साथ रहेगा हमारी पार्टी का समर्थन आपके साथ रहेगा क्योंकि हमने तो पहले से कह दिया है । यह बात अलग है उनके सहयोग से जो बैठे हैं उन्होंने जो सपोर्ट दी है वह तो उन्होंने क्रिटिकल कहा उन्होंने आलोचनात्मक सहयोग देने की बात कही है लेकिन हमारा जो सहयोग है हमने यह कहा है कि जब तक आप हमारी नीतियों से सबंधित बातें लाएंगे हमारा रचनात्मक सहयोग आपके साथ रहेगा पोजिटिव सहयोग आपके साथ रहेगा । यह फैसला आप पर है कि आप किन लोगों को किस ढंग से समझ सकते हैं । लेकिन उनके भूतकाल को आप जानते हो तो आप सचेत रहिये । हम तो सक्षम विपक्ष की भूमिका निभायेंगे लेकिन कहीं आपके साथ बैठने वाले जो लोग है वह लोग आपको ज्यादा कमजोर कर के पहले की जो भूमिका उन लोगों ने बनाई थी उस भूमिका पर आप को न आना पड़े । इसके लिए मैं यह कहता हूं कि आपका जो सहयोग है समर्थन है वह समर्थन आपकी उन नीतियों के साथ रहे जो इस देश की एकता के साथ और अखण्डता की रक्षा करे । आपका जो दृष्टिकोण है वह आप शासन के साथ-साथ जो भी आप नीति, नियम और कानून लाने वाले हैं उसका एक प्रतिबिम्ब सामने आए । इस प्रकार की व्यवस्था अगर करवायेंगे मैं तो आशा करता हूं कि इस देश में कोई बदलाव आयेगा और इस देश में उन्हीं लोगों को पसंद किया है जो इस देश को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं । कहीं ऐसा न हो जाये कि जो अलगाववादी ताकतें हैं वे पिछले दरवाजे से आपके साथ आकर आपको और इस देश को कमजोर करने की चेष्टा करें । मैं आपको आगाह करता हूं कि वे ताकतें जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं वे आज भी कहीं कहीं इस देश की व्यवस्था में आने के लिए तैयार हैं । मैं आपके माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कई मौके ऐसे आये थे पिछली सरकार के सामने कि इस देश को तोड़ा जा सकता था लेकिन हमने कभी भी इन ताकतों के साथ किसी सूरत में समझौता नहीं किया, चाहे इनसे हमको राजनैतिक लाभ होना था । हमने कभी भी इन नीतियों और ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके हैं मेरी पार्टी के नेता राजीव गांधी ने भी उस सदन में कहा है और खुलेआम इस देश की जनता को भी कहा है कि हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और जब तक इन नीतियों के साथ आप रहेंगे हमारा सम्पूर्ण समर्थन आपके साथ रहेगा लेकिन जहां-जहां हमें यह महसूस होगा कि यह गलत हो रहा है और इस देश के लिए या देश के लोगों के लिए कोई गलत बात है तो उस पर हमारा सपोर्ट आपको हरगिज नहीं मिलेगा । मैं आशा करता हूं कि आप सोच समझकर जो भी कदम लेंगे वे इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की लाखों, करोड़ों जनता के हित में होंगे जिनको इस राष्ट्र और इसके शासन से आशा और अरमान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपना विकास करने का अवसर मिलेगा ।

मान्यवर, दलगत राजनीति से उठकर काम करें । कहीं एसा न हो कि पिछली सरकार ने जो भी कार्यक्रम चलाये हैं, जो जनहित के कार्यक्रम हैं, सिर्फ एक

राजनैतिक पूर्व भूमिका को देखते हुए उनको उल्टा करने की कुचेष्टा की जाये। इसकी तरफ मैं आपको लाल बत्ती दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ आज जो यह विधेयक लाया गया है मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसको सम्पूर्ण समर्थन देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इन ताकतों और जो चुनौतियां इस देश के सामने हैं उनसे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता को तथा इस देश को सक्षम बनाने की दिशा में आप सर्वथा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।

SHRI RAM JETHMALANI (Karnataka): Respected Chairperson, Sir, after the very constructive, very sober and very thoughtful speech of Mirza Sahib I don't think there really remains much to be said, but two observations are very necessary. One. that we must frankly acknowledge that this is the contribution of the wisdom and experience of the previous Government and we are gratefully borrowing it, we are gratefully using it and I am sure the legislation will have socially beneficent results and it will have the results which Mirza Sahib had in mind and once those results are achieved, the credit will go to the previous Government and we shall have, I hope, the generosity of heart to acknowledge for all times. I think the Government now in power will willingly take note of the hopes, expectations and aspirations which Mirza Sahib expressed and we will certainly try and honour them. I am very happy that constructive cooperation has been promised, not once but many more times. and we gratefully acknowledge it, we gratefully accept it and we hope that the Opposition will also continue to perform its role of criticising us keeping us on an even keel and we will welcome all legitimate criticism including pungent criticism at times. It is in that spirit that we hope we will continue to work in this House and we shall certainly enhance the dignity as well as the efficacy of this great institution which, I think we must in all fairness acknowledge, has suffered a little setback in the past. And, Sir, let us all now strive to put it on a proper level and I am very glad that Mirza Saheb has said whatever he has said.

Sir, while heartily recommending this Bill for adoption as an exclusively non-controversial measure, I suggest that there are a couple of limitations which must be borne in mind.

Firstly, our Indian legislature has not assumed to itself extra-territorial powers of legislation. Therefore, do not expect that under this law you will be able to punish foreigners who commit offences outside the territorial borders of India. This kind of actions or offences will have to be met by proper diplomatic action and proper action under the existing international law and international mechanisms that are available in civilized societies. So, let us not sort of pin too much hope on this legislation because, if there are mischievous elements abroad, who wish to misrepresent our territorial borders and frontiers and question the territorial integrity of India, those elements or those forces will have to be combated under the normal international procedures which are available in international societies.

Sir, actually, — this is somewhat a disturbing fact — the present subclause (2) of clause 2, which is included here seeks to create a new offence and the new offence which is sought to be created is already mort or less covered by the first clause except what the law has called as *mens rea* part. If the *mens rea* part exists, then it will fall under sub-clause (1) and we will punish with imprisonment for three years,

[Shri Ram Jethmalani]

the higher of the two penalties. But, without that *mens rea* part, it is punishable with imprisonment up to six months or with fine or both. But there can be cases of inaccurate representation of maps, but innocent misrepresentation of facts, and, therefore, some kind of frivolous prosecutions are possible under the wide scope of this statute and the Statement of Objects and Reasons makes it very clear that *mens rea* is not required at all, guilt is not required at all for this offence to be committed. Therefore, I hope that frivolous prosecutions which are counter-productive at all times, will be taken care of by the provision which says, "No court shall take cognizance of those offences except on a complaint by the Government itself.", and a responsible Government will see to it that frivolous and malicious prosecutions are not launched and innocent people who unwittingly come within the clutches of this very same broad law are not unnecessarily harassed.

With these observations, Sir, I once again wish to compliment the previous speaker and I recommend that this may be adopted as a non-controversial measures without making any further speeches and even without utilising the one hour which you have kindly allowed us. Thank you, Sir.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Sir, I rise to support this Bill.

Sir, it is a very heartening fact that the previous speaker has admitted that the previous Government was trying sincerely to bring forward this sort of legislation. Every country must have some broad features special features. Every country must have a land of its own, must have got a language or languages of its own and every country must have got a culture of its own. So, when we speak of the land, there are certain boundaries and those boundaries indicate the ownership of that particular country. In this Bill, it is anticipated that at certain times, false or frivolous maps may be prepared and may be circulated. Then the question arises as to what these maps are or what kind of maps can be called false. The word map is nowhere defined and it is not defined either in the General Clauses Act or in the present Act which we are amending now. Therefore, we shall have to take care to specify it. This is not one suggestion because these maps are the symbols of unity, integrity and sovereignty of a particular country, and, therefore if we have not got that specified, if we have not got it in a specified way, it will create confusion. Therefore I say that the term "maps" may be defined somewhere in the text of this Bill.

Secondly, I would like to say that essentially we are going through a process of fast change in all aspects of life. But we are having changed circumstances also. Everyday the political atmospher is changing very fast in nations. There are so many instances. There are so many examples indicating that on so many occasions false maps were prepared and circulated with a purposeful mischievous intention to harm the integrity and sovereignty of the country. I know certain cases when a World Hockey Cup was inscribed showing that Jammu and Kashmir does not form a part of India. On some diaries also maps were shown excluding Jammu and Kashmir. I do not have the name of that particular diary. These are the mischievous attempts made with the sole purpose of harming the integrity and sovereignty of this country. Therefore, I say that in the present circumstances, in the changed circumstances when aggressions are being started in the world, we have to take care of these things and save ourselves from all these happenings. If we want to protect our country, we have to take care of all these matters specifically.

Now I will come to Clause 2 of this Bill. Clause 2 says: "Whoever publishes a map of India". It connotes that the publishing may be here or somewhere else, but it will cover all the offences irrespective of caste, creed and nationaity. That is the intention behind using the words "whoever publishes the map of India". The intention of the legislation is to include all the nationalities. I think it may include a person publishing a map even outside India. It may be extra-territorial. But when he publishes and circulates, it will cover that point. That is my thinking.

When you are doing it, why don't ·ou make this offence a cognizable offence? It is said in Clause 2, Sub-clause (3): "No court shall take cognizance of an offence punishable under Sub-sectson (2) except on a complaint made by Governmemnt". The Government has been defined in Clause 23, Section 3, of the Clauses Act. It says: "Government or the government shall include both the Central Government and any State Government." Again there will be confusion. Which court should prosecute? To whom the complaint should be filed? Who will be in charge of it. Therefore, I think that this terminology is not very satisfactory, as has happened in the case of so many legislative draftings. I would like to bring to the notice of this august House these things which we experience in our practical dealing with the law.

Finally, it is said in the Statement of Objects and Reasons: "It was considered necesssty to make it an offence *per se* to publish a wrong map of India". Then it is very easy to make this offence as a cognizable offence. Therefore, taking into consideration all these facts as they stand and in the interest of the integrity and sovereignty of the nation, these suggestions may be considered. I support the Bill. Thank you.

SHRI SUNIL BASU RAY (WEST BENGAL): Sir, I am thankful to you for giving me the oppdrtunity to speak on this Bill which is small but very vital. It is vital for the defence of our territory, for the defence of our country's integrity and unity, and for further advancing the struggle against imperialism and other such forces. Our country has won independence and Statehood through decades of struggle of different shades -- it was violent, it was non-violent: it was mass, it was individual. And all classes of people of our country had participated in it. Now we are trying to build up our country as a viable country, as a strong country which can take account of the forces which are inimical to our existence, which are inimical to our development and do not want India to prosper. We shall surely fight against them. We shall surely make our country impregnable and our defence very strong. That is why we want that there should not be any loophole through which the enemy can penetrate.

So, Sir, I support this Bill which has been brought to defend our country's territory, our country's boundaries. And, I think, that this Bill should be supported by the entire House, and it will further advance our struggle against imperialism and all divisive and secessionist forces.

Thank you, Sir.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलवालिया (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल, 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह बिल, जो कि हमारी सरकार ने अगस्त महीने में लोक सभा में पास किया था, उसको पारित करने के लिए आज सरकार ने यहां राज्य सभा में लाया है, इसके पीछे जो मकसद है वह पूर्व-वक्ताओं ने विशेष रूप से सदन के सामने रखा है । मैं महसूस करता हूं कि सदन के साथसाथ पूरे भारत के भारतवासी इस बिल का समर्थन करेंगे ।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि किसी भी मुल्क को कमजोर करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनमें एक बड़ी चीज का नाम होता है--विभ्रांति, यानी कन्फ्यूजन और विभ्रांति पैदा करने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है वह किसी भी परिवार के सदस्यों के नाम को बिगाड़ कर बताना या किसी मुल्क की चौहद्दी को, मुल्क के नक्शे को बिगाड़ कर पेश करना। आज भारतवर्ष की तो बात छोड़िए, सारे विश्व में जहां भी एटलस मिलता है वर्ल्ड एटलस मिलता है उसके ऊपर एक छोटी सी रबर स्टेम्प लगती है--"नॉट फॉर सेल इन इंडिया", लेकिन उसके अंदर अक्षय-चीन, आजाद-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा दूसरे-दूसरे मुल्कों में दिखाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि यू०एन०ओ० के माध्यम से भी जो नक्शे मिलते है, वहां पर भी यह गलतियां देखी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कानून तो लागू हो जाएगा-- मद्रास की ईगल-डायरी के ऊपर, यह कानून तो लागू हो जाएगा दिल्ली के चवाड़ी बाजार के छोटे-छोटे नक्शों बनाने वालों पर यह कानून हम उन पर कैसे लागू करेंगे जो सारे विश्व में यह नक्शा बेच रहे है ? आज वह आजाद काश्मीर का हिस्सा दिखाते है, कल वह खालिस्तान का हिस्सा दिखाएंगे। आज जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं कल वह उत्तर प्रदेश न लिखकर उसको उत्तरा खण्ड दिखाएंगे। आज जिसे हम मध्यप्रदेश कहते है उसको वन प्रदेश बनाकर दिखाना शुरू करेंगे। आज जिसे हम बिहार कहते है उसको झारखण्ड बनाकर दिखाने की शुरुआत हो जाएगी। आज जिसे हम कूच बिहार और जलपाइगुड़ी कहते है, उसको कामतापुर कहकर नक्शा छापने लगेंगे। इन चीजों को रोकने के लिए इस कानून की जरूरत है और सख्त-से-सख्त हाथों से इस को इम्लीमेंट करने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में ह्यूमन राइट्स की कांफरेंस अटेंड करने गया। वहां मैंने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था ने जो अपनी बुक पब्लिश की है उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में भी एक हिस्सा छापा है। उस में इंडिया का जो मैप बना हुआ था उसमें काश्मीर का हिस्सा ही नहीं था। बड़े दुख की बात है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जोकि अपने आपको ह्यूमन राइट्स का पायनियर मानती है, उसने इस तरह की एक विभ्रांति पैदा करने की कोशिश की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसाकि जेठमलानी जी कह रहे थे मैं इन संस्थाओं के विरुद्ध इंटरनेशनल ला का समर्थन लेते हुए जो हमारे डिप्लोमैटिक कांटेक्ट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटी होती हैं, उसके माध्यम से ऐसी कम्पनियों और संस्थाओं के खिलाफ हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए।

सिर्फ इतना ही नहीं जिस तरह से हमारे मुल्क में झंडा हमारा नेशनल सिम्बल है और झंडे को अगर कोई विकृत रूप में पेश करने की जुर्रत करे तो उस पर कड़ी-से कड़ी कार्यवाही होती है, उसी तरह से इस नक्शे को भी नेशनल सिम्बल बनाना चाहिए और नेशनल सिम्बल की जो लिस्ट है उस मे इंक्लूड करना चाहिए...

Is the map there?

SHRI RAM JETHMALANI: Yes, it is there.

SHRI S. S. AHLUWALIA: All right, then I withdraw my observations.

SHRI RAM JETHMALANI: It is called the National Emblems Act.

श्री सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया यह एक चीज जाने का मौका मिला। मैं जहां तक जानता था सिम्बल लिस्ट में मैप नहीं आता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देहरादून में हमारा जो सर्वे आफ इंडिया का आफिस है और वहां से जो मैप छपते हैं, कभी-कभी देखते में आता है कि उसके जो पुराने ब्लाक्स है, वह चोरी हो गए हैं और आज हम वह ब्लाक्स कहां से मंगा रहे हैं ? उन्ही संस्थाओं से मंगा रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत का नक्शा विकृत रूप में बनाया हुआ है।

मान्यवर, रीडर डाइजेस्ट एक वर्ल्ड एटलस निकालती है। उसके जो कसल्टेंट्स हैं या उसको जो मशविरा देते हैं, उसमें विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सब उसके सदस्य हैं। उसके बावजूद हमारा नक्शा गलत छापा जाता है। इसलिए ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि स्कूल्स के बच्चों के जो छोटे नक्शे बनाए जाते हैं, इस एक्ट के तहत उन पर कार्यवाही हो। लेकिन ये जो बड़े-बड़े संस्थान हैं जोकि मुल्क में विभ्रांति पैदा कर हिंदुस्तान के हिस्से को दूसरे मुल्क का दिखाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्यथा एक दिन आएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट आफ ला में यह दिखाया जाएगा कि यह नक्शा 1946 में छापा गया और उसमें तो काश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तब इस तरह छोटे-छोटे हिस्से अलग कर के दिखाये जा रहे हैं। तो जैसाकि मैंने आपको कहा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है यह जो दिन-प्रति-दिन मशरूम ग्रोथ हो रही है, एक-एक अंचल की डिमांड चल रही है, इस तरह के नक्शे बनने लगे हैं और कुछ मैगजीन्स में छपने लगे हैं। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है ताकि इस मुल्क के जब 50 फी सदी से भी ज्यादा अनपढ़ लोग हैं जोकि इन चीजों को नहीं जानते हैं, उन्हें इस तरह विभ्रांत कर गलत नक्शे को दिखाने की कोशिश न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरा समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, यह हुकूमत की जानिब से जो क्रिमिनल ला अमेंडमेंट (अमेंडिंग) बिल, 1989 पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल की भरपूर ताईद करता हूं।

जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी, उसकी सालिमियत और उसकी हिफ़ाजत हर शहरी का फर्ज है। चुनांचे, आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारे मुल्क के लाखों जियालों ने अपने मुल्क की हिफ़ाजत और उसकी सालिमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मगर इन्तहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अभी भी हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं और इसके लिए वे कोई भी लम्हा जाया करना नहीं चाहते। इसलिए वक्त की अहमतरीन जरूरत को पेशे नजर रखते हुए यह जो बिल लाया गया है, मैं समझता हूं कि इस बिल के परपरदा जज्बा-ए-हुब्बुल वतनी और फिर ईसार और कुर्बानी का भी जज्बा है।

पिछले चन्द सालों में हमने देखा है कि मुल्क के अंदर और बाहर की कुछ ऐसी ताकतों ने हिन्दुस्तान के नक्शे को जिस गलत अन्दाज में पेश किया, वह इन्तहाई अफसोस की बात है। चुनांचे, अभी जैसा कहा गया कि काश्मीर इलाके को हिन्दुस्तान के बाहर का इलाका करार दिया गया और इसी तरह चीन की जानिब से हमारी जो शुमाली सरहदें हैं, उनको भी हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं बतलाया गया। यह इन्तहाई अफसोस की बात है। चूंकि हिन्दुस्तान का नक्शा हमारा एक नेशनल सिम्बल है और यह हमारी क़ौमी एकजहती का मजहर है, इस लिहाज से यह जरूरी है कि ऐसी ताकतों को, जो मुल्क को नुक्सान पहुंचाना चाहती हैं, किसी और जरिए से ही सही, मगर खास तौर पर हिन्दुस्तान को गलत बतलाकर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

अब तक हमारा जो कानून था, इस किस्म की ताकतों और कूवतों के खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके या कोई कार्रवाई की जा सके। अब यह कानून बनने के बाद बहुत हद तक इसपर कंट्रोल किया जा सकता

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

है। अभी जैसा कि कहा गया कि जहां तक मुल्क के अंदर अगर इस किस्म की शरारतें हों, तो इस कानून के तहत बेहतर अंदाज में निपटा जा सकेगा, मगर अगर मल्क के बाहर--जैसा कि मेरे सीनियर कुलीग जनाब राम जेठमलानी ने कहा कि अगर मुल्क के बाहर से अगर इस किस्म की शरारतें हों या इस किस्म की कूवतों के खिलाफ किस तरह से निपटा जा सकता है, मैं समझता हूं कि यह कानून इस संबंध में कुछ खामोश है। जरूरत इस बात की है कि उसका भी इस कानून में कुछ जिक्र किया जाए ताकि उन कूवतों के खिलाफ भी बेहतर से बेहतर अंदाज में निपटा जा सके।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह जो कानून पेश किया गया है, इस कानून को हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सोचना चाहिए। हमको यह नहीं देखना चाहिए कि महदूद अंदाज में क्योंकि हुकूमत ने कानून पेश किया है, लिहाजा उसकी मुखालिफत की जाए।

ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा हमारे नए हिन्दुस्तान का एक कौमी सिंबल है। कौमी निशान है, लिहाजा इस बात की बेहद जरूरत है कि इसके बारे में बालादार होकर सोचा जाए।

साथ ही साथ मैं वजीरे दाखला होम मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि लॉ कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन और मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंटस की जो रिकमंडेशंस हैं क्रिमिनल लॉ में चेन्जेज के लिए उनको भी जहां तक हो सके अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाए।

इन अल्फाज के साथ इस कानून को, इस बिल की ताईद करता हूं, इसको सपोर्ट करता हूं।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989. It is true that any move to distort the map of a foreign country is not a simple crime. It is a grave offence if the very integrity of a country is threatened. There have been examples of distorting the map of this country by various super powers and this subject of distortion of Indian map by super powers has been discussed many a time in this House. So, as a citizen of this country we cannot tolerate any move that may destabilise the territorial integrity of the country. Any move that may ultimately threaten the integrity of the country cannot be supported Therefore, I support the proposed Bill which has been brought before the House. This may curb this grave practice inside and outside the country.

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, दंड विधि संशोधन विधेयक देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह देश की आत्मा से जुड़ा हुआ विधेयक है। मैं स्वराष्ट्र मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर देते समय जरा गिनकर बताएं कि आज तक कहां कहां से कितने प्रकार से भारत की सीमाओं के बारे में गलत नक्शे छपे हैं। अमरीका ने कितनी शरारत की, रूस से कितनी शरारत की भारत चीन की जुड़ी हुई सीमा के बारे मे कितना अन्याय किया और दुनिया में कहां कहां से गलत नक्शे छापकर बांटे जा रहे हैं और भारत के अंदर प्रकाशकों ने कितने प्रकार के गलत नक्शे छापे।

महोदय, आखिर बाहर के हमारे सर्वत्र दूतावास से अगर किसी देश ने भारत के गलत नक्शे छापे तो सबसे पहले भारत की जनता को उसका पता लगना चाहिए। हमारे दूतावासों के द्वारा जो भारत की ओर से स्वीकृत नक्शा है जिसमें भारत की सीमा भारतीय

दृष्टिकोण से रखी गई है, जो सत्य सीमा है, उसका भी विश्व में प्रचार करने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ बाहर के दूतावासों को मुझे देखने का मौका मिला है। ये दूतावास आज भी भारत के प्रतिनिधि बनकर भारत की आत्मा लेकर खड़े नहीं दिखाई देते हैं। लगता है कि विदेशों में भारत के दूतावास विदेशों के द्वारा भारत को देखते हैं। भारत के दूतावासों में न भारत के महापुरुषों के चित्र देखने को मिलते हैं, न भारत के बने हुए नक्शे दिखाई देते हैं। तो विदेशों में जो हमारे भारतीय दूतावास हैं वे सचमुच भारत के प्रतिनिधि बनकर दिखाई दें; सरकार इसके लिए प्रयत्नशील हो।

महोदय, हमारे बहुत अच्छे मित्र माननीय इर्शाद जी ने भाषण दिया। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं लेकिन भाषण के उत्तरार्द्ध में जो कुछ इशारा किया है; मैं उसे आक्षेप के रूप में स्वीकार कर रहा... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बांसल (पंजाब) : आप गलत समझ गये।

श्री कैलाश पति मिश्र : मैं किसी के भाषण में छेड़-छाड़ नहीं करता इसलिए आप जरा सुनिए एक तो इस सरकार के बारे में उन्होंने चिन्ता की है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही बताना चाहता हूं कि कोई भी शक्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को पांच वर्ष से पहले हिला नहीं सकती, पांच वर्ष से पहले हिला नहीं सकती। वह पांच वर्ष तक चलेगी ही। काश्मीर के बारे में उन्होंने कुछ उल्लेख किया था। अच्छा होता वह न बोले होते किसी और से बुलाया होता तो ज्यादा प्रसन्नता होती। लेकिन जम्मू काश्मीर के अन्दर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, श्रीनगर घाटी जिस तरह से धधकती हुई दिखाई दे रही है अनन्तनाग मंदिर के ऊपर, वहां की हिन्दू आबादी के ऊपर जो लगातार संकट और कहर ढहता जा रहा है। श्री इर्शादबेग जी ने क्रिटिकल सपोर्ट की ओर इशारा किया है। क्रिटिकल सपोर्ट का अर्थ समझने की चेष्टा होनी चाहिए। अगर राष्ट्र की अखंडता के ऊपर कहीं से भी कोई आघात होगा तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस नाम की शक्ति है जो राष्ट्र का अपमान सहन नहीं कर सकती, राष्ट्र के ऊपर चोट सहन नहीं कर सकती। हो क्या रहा है? पिछले 15-20 दिन के अन्दर जम्मू और कश्मीर के अन्दर जो घटना घटी सामने स्वराष्ट्र मंत्री बैठे हुए हैं उनके कलेजे पर क्या बीता होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन मैं केवल इनसे जुड़ी हुई घटना स्वीकार नहीं करता। मैं तो यह मानता हूं कि 80 करोड़ के भारत को चुनौती दी गयी है। जो प्रसंग सामने आया उसे लॉ एण्ड आर्डर की सीमा में खींचा गया होगा। लॉ एण्ड आर्डर किस का दायित्व है? यह ठीक है कि जहां राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न आकर खड़ा हो वहां पूर्ण राष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य सरकार ने जिस ढंग से उस घटना से निपटने की कोशिश की है उससे इर्शाद जी सन्तुष्ट हो सकते हैं लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उसे भारत पर बहुत बड़ा अपमान मानता है। देश के स्वाभिमान के ऊपर एक ऐसी चोट है, एक ऐसा घाव है वह घाव कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। हजारों उग्रवादियों में से कहीं एक-दो-तीन चार पकड़ में आते हैं और समझौता भी हो रहा है उग्रवादियों से। पांच उग्रवादियों के साथ क्या नाटक हो रहा है? जैसे क्रिकेट के मैदान में इधर से खिलाड़ी होते हैं, उधर से खिलाड़ी होते हैं, फुटबाल के मैदान में भी इधर के खिलाड़ी होते हैं, उधर के खिलाड़ी होते हैं, प्रदर्शन करते हुए आते हैं उसी तरह से उग्रवादी प्रकट किये जाते हैं। फिर वहां जुलूस निकलता है। हजारों कंठ से एक साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है और उग्रवादी गायब हो जाते हैं। कहां चले गये? क्या आकाश में चले गये, धरती में धंस गये, पाताल में चले गये? आप उसी सरकार की चर्चा कर रहे हैं जो इसको बढ़ावा दे रही है। जम्मू-कश्मीर के अंदर यह कोई सरकार चल रही है? क्या वहां सुरक्षा

[श्री कैलाश पति मिश्र]

नाम को कोई चीज है? मैं उन लोगों में से हूं जो जम्मू-कश्मीर को भारतवर्ष का अभिन्न अंग मानते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मेरा कोई दबाव नहीं है, वर्तमान सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि यह स्थिति पैदा हो कि सारे भारत के अन्य राज्यों के स्तर के समान उस राज्य का स्तर भी हो। जम्मू-कश्मीर का स्तर भारत के अन्य राज्यों के स्तर के समान ही होना चाहिए।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात): मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन्हीं की बात से एक बात निकलती है। गृह मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं इसलिए क्लेरिफिकेशन भी चाहूंगा कि उग्रवादियों के साथ समझौता राज्य सरकार का हुआ या केन्द्रीय सरकार का हुआ। यह गृह मंत्री स्पष्ट करें ताकि सारी बात सामने आ जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): मिश्रा जी, कृपया आप अब समाप्त करें।

श्री कैलाश पति मिश्र: मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के बारे में और भारत का नक्शा, यह भारत की आत्मा का प्रतीक हैं। इसलिए देश की जनता को पता लगना चाहिए और दुनिया को पता लगना चाहिए कि किसी ने इस नक्शे में थोड़ा भी हेरफेर करने की कोशिश की तो वह भारत के ऊपर सीधे आक्रमण की संज्ञा होगी, यह हमें अनुभव करना चाहिए और इस नक्शे में कोई भी हेरफेर भारत के ऊपर आक्रमण हैं। भारत सरकार को इसमें उदासीन नहीं रहना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि यह विधेयक पिछली सरकार ने बनाया था, इसलिए यह कहीं रिचुअल बनकर न रह जाय। यह एक जागृत सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, लोकतंत्र के ऊपर बनी हुई सरकार है। यह सरकार निस्संदेह भाव से चलेगी। पांच वर्षों तक कोई इसको हिला नहीं सकता है। सलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम उठाकर इस सरकार को चलना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): मैं एक सूचना देना चाहता हूं। अभी श्री मीर्जा इर्शादबेग ने एक प्रश्न उठाया है। अगली तारीख को जब हम बैठेंगे यानी 26 दिसम्बर, 1989 को मंगलवार के दिन, उस दिन जम्मू-कश्मीर विषय पर इस सदन में चर्चा होगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: With due respect, I would say that this point need not really come from the Chair. It is for the Home Minister to reply to the point now or at any other appropriate time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): It is on the agenda. It has been admitted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Are you announcing the agenda or what are you doing?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): It was decided. ...*(Interruptions)*... Since the point was raised by Mr. Mirza Irshadbaig, I just informed the House... ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: With due respect, I only want to know whether you are informing us of the item fixed for that day only or whether you are intervening in something which is taking place now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): I am just informing about the point raised by Mr. Mirza Irshadbaig, that a Calling-Attention motion has been admitted on this.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: There is a lot of distinction between the two. I would like to have time to speak on that. If you are referring to what is going on in the House now and saying that we cannot speak on

that because it is going to be taken up later, I suppose, respectfully that it is unwarranted. But, if you are only telling us that a particular piece of business is going to be taken up on such and such a date, that is very well within your jurisdiction....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): That's all.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: and I would rather thank you for that. ...*(Interruptions)*... But, Mr. Gopalsamy, you don't find fault with what I am saying.... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Shri Subramanian Swamy...Absent.. Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi. Please be very, very brief.

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1989, is before us. At the outset, it seems it is a very short, precise Bill, but it embraces a very wider subject because the integrity, sovereignty and unity of the country are all symbolically represented in the map of the country. It may be an ordinary map, but I do not know exactly whether the Government means the physical map or the political map of the country. What exactly the map is has got to be defined by the Government.

The map should include that territory which has been authentically indicated by the Government as the territory included in India. Though many times we see that there are many differences on account of certain things, because of the underlying cultural current of the country we find that there is full unity in the country.

Sir, I would like to bring to the notice of the Government that Government ought not to have been in a hurry to bring this Bill without defining what exactly the map of India is. Many private people publish the map, many outsiders also publish the map—Indian people and outsiders also. We know that China published a map showing Aksai Chin as part of its territory. We know that our neighbouring countries publish certain maps showing a part of Kashmir as their own territory. We do know that there was no clear demarcation with regard to the McMahon Line also. There was a lot of dispute and it had taken such a long time for us to deal with that also. Sir, we do know what happened when Beru-Bari was given away by Panditji to Pakistan. And we do know, when Kachchativu was earlier given away to Ceylon what dispute was there, what controversy was raised. How, of course, the maps can be published with all the things, it is very difficult to say.

6.00 P.M.

The House may be surprised to know that there are nearly 600 to 700 enclaves or islands in the Bay of Bengal, which are part of India. We do know that many villages on the bank of Brahmaputra in Assam pay their taxes in Bangladesh, but they are part of India. Of course, this can be verified by the Minister of Home Affairs. I would like him to verify this and given an authenticated reply also to what part is included, what territory is included. We vaguely say the territory included within India.'

Of course, we are very proud of the unity and the integrity and the sovereignty of the country. And we say that for every inch of the land we are fighting, we are shedding our blood also for the sake of these things. But we do know, of course, that the Geographical Survey of India has got one figure. The Indian Statisfiscal Institute at Baranagar has got another figure. The Central Statistical Institute has got another figure. The figures do not concur with each other as regards the territory included within India.

I am very sorry to say these things. But I am bringing it to your notice. Whether it is the previous Govern-

[Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi]

ment which had introduced the Bill or the present Government which is looking into the Bill, irrespective of these things, I am saying these things that the territory that is included in India should be given by the Government. This authentic information is to be given by the Government. The map has got to be defined so that, of course, the publishers can publish them correctly.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): What does the Survey of India map give?

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: The figures differ. I am not going to give the figures here. The Minister may verify this. I am not criticising or I have nothing to say about these things. We are very proud of the unity, cultural integrity, integrity of the country, sovereignty of the country. But, of course, these things I am thinking aloud. These things have got to be made clear. They have got to be verified also. I do remember that when certain questions came up, the External Affairs Ministry had got to answer those questions.

Also there are a number of enclaves. They are small islands in the Bay of Bengal, which are a part of India. They are 600 to 700, not less, in number. Of course, what is their fate?

SHRI MUFTI MOHAMMTD: SAYEED: But that is not the subject of the discussion.

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Maybe. Therefore, what exactly the map of India is the subject matter. If anybody gives a map with omissions or commissions or inclusion or addition or deletion of a portion which ought to have been added or which ought not to have been added, additions of those things which ought not to have been added and deletion of those things which ought to have been added, if such maps are given, of course, there is a crime. and, therefore, he will be punished accordingly.

What exactly is to be included in the territory of India is to be given by the Government. Of course, it is the responsibility of the Government, not of any private organisation or party because these things do differ, These institutions which we have got with us in India today the All-India Geographical Survey of India , the All-India Statistical Research Institute, the Fundamental Research Institute the Central Statistical Institute, all these give different figures. These differences may be due to so many reasons, action, interaction of so many matters, Indian or national or international. They may be involved into that. I do not say that these matters are not involved into that.

Of course, we have to make these things clear also for the information of the people of our country. If there is any controversy, if there is any deliberate vagueness, I do understand, I appreciate that also because certain things cannot be openly disclosed also before the people. Therefore, if it is not a deliberate vagueness of course, it is a thing to be corrected.

Number two, in clause No. 2 there is use of the word "Government". What exactly is meant by "Government?" Is it the Central Government or the State Government or any Government, a local Goversment? Instead of "Government," 'State' can be used. Then it is all right. Of course, these things can be included. Therefore, these things have got to be made clear.

It is a very serious matter. I am not referring to any political things or so, I wish the physical map and the political map would be the same. They should not differ. Therefore, I am just requesting the Minister to look into these matters I am keeping before him. These small problems may seem small, but there are very wideranging problems covered therein. I do remem-

ber when Aksai Chin was included into China in the maps distributed, when our engineers were attacked at Barahooti in Uttar Pradesh. Of course, worse things were distributed in India. We do know these things also. Therefore, I would request the Minister to look into these things once again and give the correct information so that authentis map records also can be published.

Shri Jethmalani has also asked whether there is a deliberate intention or there is an innocent idea behind the whole thing. Of course, Courts can also look into it. Courts are there to look into it. Courts will take into consideration these things when they are represented by the Government. It is for the Government also to see that these things are made clear. It is a very every important think. The Minister can take a little more time also to give authentic information regarding these things and see the different institutions in our country give one figure and not various figures.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, This Bill has rightly drawn full support from all sections of these hon. House. Maybe I am mistaken in my intrepretation of this Clause, but I do feel perhaps there is a lacuna therein. Mr. Ahluwalia very aptly referred to the tendency amongst various people within the country to publish distorted maps of different parts of the country, by giving different names to a territory which forms part of India as such. In that light all that I would like to suggest to the hon. Minister is that may be there is a need to add the words "or a part of India" anywhere in this Clause. Maybe it may read in following words:

"Whoever publishes a map of India or a part thereof". I think there is a necessity of doing this despite the fact that we have the original section 2, which is now section 2, sub-section (1). Therein it is mentioned that if a person by words either spoken or written or by signs or by representation or otherwise questions the territorial integrity or frontiers of India in a manner which is, or is likely, to be rejudicial to the interests of the safety and security of India..." The situation which I am postulating may not really be covered by this. There may be a group of people who want...

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Let us do it partly. Then we will discuss.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I am happy that comes from him. I suppose my point is made. But since this Bill has still to go to the other House and if the Government gives a thought to it now and if it feels that there is a necessity of bringing about an amendment to that effect. I suppose it should be done at this stage instead of bringing in another Bill in the two Houses of Parliament and then again taking time of this House. I am not rigid on it at all. I only wanted to make a suggestion that may be a lacuna is there in that which could be use of by some people somewhere. May be a few people want two States to come together. They give it a dfferent name wantng some sort of a structure which is not within the Constitution of India. That situation should be obviated.

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to all the hon. Members of this House for the unanimous support they extended to the present amendment to this Act. In fact it is on the suggestion of the Members of this House that this amendment was drafted. Most of the Members have just shown concern about the unity and integrity of our country. It is a fact that the people of India have given their blood to safeguard the integrity

[Shri Mufti Mohammad Sayeed]

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

of our country. It is not by words alone but it is by deeds, we have to maintain the unity of this great country. I suppose on this one issue, all of us are united. The unity and integrity of our country, India, is not negotiable. The publication of correct maps of our country is a matter which concerns our nation. If there is depiction of wrong boundaries, I think, it affects the unity of our country. Therefore, the Government of India has given thought to it and we have always issued instructions to publishers that they should take care to publish correct maps on the basis of correct and reliable information which are used in educational institutions and by general public. The present Act is not sufficient to deal with the publishers who publish a wrong map. There are hundreds of instances where publishers have published wrong maps but there we have not been able to prove their intentions whether they are malafide; is it that they have intentionally published a wrong map which affects the unity of our country? It is explained in the present amendment that in order to construe it as an offence the following conditions are to be fulfilled; the territorial integrity and frontiers of India are questioned, one, by visible representation or sign or words written or spoken number two, it is done in such a manner which is likely to be prejudicial to the interests of the safety or security of India. The present amendment which is proposed is very clear. "(2) Whoever publishes a map of India, which is not in conformity with the maps of India as published by the Survey of India, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both. (3) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (2) except on a complaint made by the Government." In this respect you cannot as *per se* take cognizance and we have said that no private individual can make any complaint. It is only the State Governments and the Central Government can go in a court of law if any publishing house or an individual publish a wrong map. The hon. Members have made certain suggestions about the map as to what is the definition of "map". "Map" means flat representation, part of earth's surface showing physical and political features. There is another amendment moved by an hon. Member and I think that has already been covered. Section 4 says where any newspaper or book as defined in the Press and Registration of Books Act 1867 or any other document, whenever printed appears to the State Government to contain any matter the publication of which is punishable under sub-section 2 of section 3, the State Government, may, by notification, in the official gazette, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other documents to be forfeited to the Government and thereon any police officer may seize the same wherever found and any magistrate may issue a warrant authorising any police officer, not below the rank of sub-insepctor to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any copy of such book or other document may be or may reasonably be searched. Therefore, my submission is that that amendment is not necessary. So, I request the hon. Member that this amendment to this Act may be passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is that:

"The Bill to amend the Criminal Law Amendment Act, 1961, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Madam, I move that:

"The Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Tuesday.

The House then adjourned at eighteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 26th December, 1989.